मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 2020 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 (भाद्र 30, 1942)

समय 11.00 बजे दिन.

1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति,
(2) श्री लालजी टंडन, मध्यप्रदेश के राज्यपाल,
(3) श्री मनोहर ऊंटवाल, सदस्य विधान सभा,
(4) श्री गोवर्धन दांगी, सदस्य विधान सभा,
(5) श्री हजारीलाल रघुवंशी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा,
(6) श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) श्री उदय सिंह पण्ड्या, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(8) श्री चम्पालाल देवड़ा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(9) श्रीमती देवेन्द्र कुमारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(10) श्री बलिहार सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(11) श्री बलवीर सिंह कुशवाहा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(12) श्री घनश्याम प्रसाद जायसवाल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(13) श्री बूंदीलाल रावत, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(14) श्रीमती विमला शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(15) श्री मनमोहन शाह बट्टी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(16) श्री चिमनलाल सडाना, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(17) पं. रमाकांत तिवारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(18) श्री गणेश राम खटीक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(19) श्री बिन्द्रा प्रसाद साकेत, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(20) श्री अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री,
(21) श्री हंसराज भारद्वाज, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(22) लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद जवान,
(23) जम्मू-कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद जवान, तथा
(24) देश एवं प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के संक्रमण से मृत व्यक्ति.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे -

(क) मध्यप्रदेश वित्त अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020),
(ख) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020),
(ग) मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020),
(घ) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020),
(ङ) श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020),
(च) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020), तथा
(छ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020),

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ.नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 9 सन् 1982) की धारा 15 की उपधारा (2)) की अपेक्षानुसार अधिसूचना फा. क्रमांक 7175-2081-क/21/ब(दो)2020, दिनांक 04 मई, 2020 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री –

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-2, एवं

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(iii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2020 का प्रतिवेदन क्रमांक-1, तथा

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या-2,

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 130 (क) की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 122-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं वर्ष 2017-2018, एवं

(ग) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं वर्ष 2017-2018,
पटल पर रखेंगे.

(4) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) की धारा 16 की उपधारा (6) (च) एवं मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के नियम 15 (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं वर्ष 2017-2018, तथा

(ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016,
पटल पर रखेंगे.

(6) श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 में संशोधन,

(ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब–उल-अर्ज) नियम, 2020,

(ग) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 , तथा

(घ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 111 की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2, दिनांक 7 जनवरी, 2020 ,
पटल पर रखेंगे.

(8) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री -

(क) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा

(ख) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला पन्ना का वर्ष 2017-2018 एवं जिला कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा तथा नीमच के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, पटल पर रखेंगे.

(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(ख) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-2019,

(ग) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(घ) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(ङ) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 8 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(च) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, तथा

(छ) एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(ज) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 1780-म.प्र.वि.नि.आ.2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019,

(ii) क्रमांक 234/मप्रविनिआ/2020, दिनांक 6 फरवरी, 2020,

(iii) क्रमांक 342/मप्रविनिआ/2019, दिनांक 7 मार्च, 2019,

(iv) क्रमांक 834-मप्रविनिआ-2019, दिनांक 12 जून, 2019,

(v) क्रमांक 1322/मप्रविनिआ/2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019,

(vi) क्रमांक 343/मप्रविनिआ/2019, दिनांक 7 मार्च, 2020,

(vii)क्रमांक 300/मप्रविनिआ/2020, दिनांक 20 फरवरी, 2020,

पटल पर रखेंगे.

(10) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री –

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

(ii) भोपाल इलेक्ट्रानिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा

(iii) जबलपुर इलेक्ट्रानिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

(11) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-3-2020-पन्द्रह-एक, दिनांक 26 अगस्त, 2020 पटल पर रखेंगे.

(12) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का 62 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(ii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का 47 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(iii) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(iv) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(v) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 51 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, तथा

(vi) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 39 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी, जिला-कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(ग) महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(घ) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(ङ) मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के अष्टम् प्रतिवेदन (चतुर्थ विधान सभा) की कंडिका 28 एवं 29 तथा नवम् प्रतिवेदन (चतुर्थ विधान सभा) की कंडिका 28 की अपेक्षानुसार पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(च) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) के नियम 22 एवं 23 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

(छ) चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 36 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिला-सतना (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, तथा

(ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019,

पटल पर रखेंगे.

(13) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) एम.पी.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

(ख) मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2016-2017,

(ग) इण्डस्ट्रिअल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन (ग्वालियर) म.प्र. मर्यादित का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2016-2017,

(घ) एम.पी. इण्डस्ट्रिअल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2015-2016,

(ङ) डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं डी.एम.आई.सी.विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, तथा

(च) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

(14) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(15) श्री इन्दरसिंह परमार, स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री –

(क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक-23 सन् 1965) की धारा-27 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-37-2-2020-बीस-3, दिनांक 2 मार्च, 2020,

(ख) समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2018-2019, तथा

(ग) मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम- 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2018-2019,

पटल पर रखेंगे.

4. दिसम्बर, 2019 - जनवरी, 2020 सत्र की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-3 तथा मार्च, 2020 सत्र की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-4 पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2019 - जनवरी, 2020 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र.

मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा में अपने स्थानों का त्याग करने की सूचना.

8. वर्ष 2012-2013 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, वर्ष 2012-2013 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

9. वर्ष 2012-2013 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 10 एवं 24 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदया को चौबीस लाख, छब्बीस हजार, एक सौ नवासी रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय. "

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

11. वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक का उपस्थापन.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक का उपस्थापन करेंगे एवं मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राजकोषीय नीति का विवरण तथा मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) पटल पर रखेंगे.

12. वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.

मांग संख्या – 01	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या – 02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या – 03	पुलिस
मांग संख्या – 04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या – 05	जेल
मांग संख्या – 06	वित्त
मांग संख्या – 07	वाणिज्यिक कर
मांग संख्या – 08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
मांग संख्या – 09	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
मांग संख्या – 10	वन
मांग संख्या – 11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
मांग संख्या – 12	ऊर्जा
मांग संख्या – 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मांग संख्या – 14	पशुपालन
मांग संख्या – 15	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण
मांग संख्या – 16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
मांग संख्या – 17	सहकारिता
मांग संख्या – 18	श्रम
मांग संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मांग संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
मांग संख्या – 21	लोक सेवा प्रबंधन
मांग संख्या – 22	नगरीय विकास एवं आवास
मांग संख्या – 23	जल संसाधन

***अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**

मांग संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
मांग संख्या – 25	खनिज साधन
मांग संख्या – 26	संस्कृति
मांग संख्या – 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)
मांग संख्या – 28	राज्य विधान मंडल
मांग संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य
मांग संख्या – 30	ग्रामीण विकास
मांग संख्या – 31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
मांग संख्या – 32	जनसम्पर्क
मांग संख्या – 33	आदिमजाति कल्याण
मांग संख्या – 34	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
मांग संख्या – 35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
मांग संख्या – 36	परिवहन
मांग संख्या – 37	पर्यटन
मांग संख्या – 38	आयुष
मांग संख्या – 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मांग संख्या – 40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)
मांग संख्या – 41	प्रवासी भारतीय
मांग संख्या – 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास
मांग संख्या – 43	खेल एवं युवा कल्याण
मांग संख्या – 44	उच्च शिक्षा
मांग संख्या – 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या – 46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मांग संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
मांग संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास
मांग संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या – 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
मांग संख्या – 51	अध्यात्म
मांग संख्या – 52	चिकित्सा शिक्षा
मांग संख्या – 53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या – 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
मांग संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास
मांग संख्या – 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग
मांग संख्या – 57	पर्यावरण
मांग संख्या – 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
मांग संख्या – 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
मांग संख्या – 62	पंचायत
मांग संख्या – 63	अल्प संख्यक कल्याण
मांग संख्या – 64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या – 65	विमानन
मांग संख्या – 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण
मांग संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) का **पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**** अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**

(2) (क) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(ख) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) (क) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(ख) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020)पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) (क) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(ख) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) (क) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2020 (क्रमांक 14 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(ख) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2020 (क्रमांक 14 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) (क) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(ख) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) (क) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(ख) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 2 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) (क) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(ख) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 11 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) (क) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(ख) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(10) (क) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(ख) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(11) (क) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री, श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(ख) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(12) (क) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री, श्रम विधि (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(ख) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि श्रम विधि (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(13) (क) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(ख) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(14) (क) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(ख) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 सितम्बर, 2020.